

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

16/23

GICMS No-2023/85

भाग जनता मोनेली V/S राजस्थान सरकार

नाम व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

3/1/25

पत्रावली पेट्रो ड्रॉइ अतिवक्त अपीलेंट द्वारा
 प्रार्थना पत्र आवल राजीनामा के आधार पर अपील
 को विद्रो किने जाने आवल प्रस्तुत किया गया।
 शांकावहे। फिय पर रेसोर्ट के अतिवक्ताने
 दरवाहार करते हुये अपनी सहाति भी दी है।
 चूंकि अपीलार्थी अपनी अपील के विद्रो करना
 चाहते हैं, इसलिये अपील के आगे चलाने से क्या
 अब संभव नही है। प्रकरण आवादी भूमि वर्ज
 करने से सम्बन्धित है। अतः तहसीलदार (भूमिदाता)
 लक्ष्मणदा, जिला दोंस के निर्देशित किया जाता है कि
 वो गृह सुनिश्चित करे कि आवादी भूमि वर्ज करने
 सम्बन्धी आदेश जारी करने से पूर्व निगमानुसार
 सम्बन्धित आधिकारिकताएं तथा आवादी हेतु पूर्व में
 पत्रावली भूमि उपलब्ध थी अथवा नही, आवास
 विधिन परिवारों की सूची प्राप्त की गई है अथवा
 नही, भूमि आवासविधिन परिवारों को ही उपलब्ध
 करवायी गई है अथवा नही, सम्बन्धी जांच कर
 प्रकरण में निगमानुसार अग्रिम कार्रवाई अथारिग
 सुनिश्चित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील
 अपीलान्ट द्वारा अपील विद्रो किने जाने के कारण
 अपील अपीलान्ट स्वार्थि की जाती है। तहसीलदार
 लक्ष्मणदा, जिला दोंस को पृथक से तहसीलदार
 जारी हो। पत्रावली मिसल शुगाट दौकट नगबर से
 कम दौकट दाम्बिल दाल्टर हो। आदेश सुनाया गया।

अपीलार्थी
 देगराज
 सुरेश
 जगमोहन
 Or
 by bhairav
 UDAI
 वकील
 शरणा
 15/01/25
 मोहन सिंह

अतिरिक्त सभागी आयुक्त
 नयपुर